कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- /वाणिज्य कर/ दिनांक::मई:: ::2009

पत्रांक-सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण/2008-2009/ 09/10023 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 22 जून ~~मई~~ 2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या- सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण/2007-08/621/व्यापार कर, दिनांक 16-7-2007 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जा रहे बोगस पुनरीक्षण पर अंकुश लगाने के लिए निम्नवत् निर्देश जारी किये गये थे :-

1- राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में राज्य प्रतिनिधि को विधिक बिन्दु पर परामर्श तथा मार्ग दर्शन हेतु विधि समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है। तद्नुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर, व्यापार कर द्वारा प्रत्येक सम्भाग हेतु 04 करनिर्धारण अधिकारी एवं दो प्रवर्तन अधिकारियों की विधि समिति का गठन किया जायेगा, जिन्हें अधिनियम का अच्छा ज्ञान हो। समिति की अध्यक्षता सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा की जायेगी, जिसमें राज्य प्रतिनिधि भी शामिल होगें। एडीशनल कमिश्नर जोन द्वारा नामित राज्य प्रतिनिधि इस समिति के सचिव होगें।

2- जोनल एडीशनल कमिश्नर, व्यापार कर प्रत्येक सम्भाग हेतु एक विधि समिति का गठन करेगें तथा इसकी सूचना गठित समिति के सदस्यों के नाम सहित एक सप्ताह के भीतर मुख्यालय के विधि अनुभाग को प्राप्त करायेगें/समिति के सदस्यों का चयन नाम से किया जायेगा, जिससे कि उक्त अधिकारी के स्थानान्तरित होने पर उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी को नामित किया जा सके।

3- विधि समिति की बैठक आवश्यकतानुसार ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा आहूत की जायेगी, जिसकी सूचना एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को दी जायेगी। विधि समिति के 50 प्रतिशत से अधिक **(जिसमें प्रवर्तन का एक अधिकारी उपस्थित हो)** सदस्यों की उपस्थित में विधि समिति की मीटिंग करके निर्णय लिया जा सकता है।

4- द्वितीय अपील निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य प्रतिनिधि द्वारा निर्णय की समीक्षा की जायेगी तथा पुनरीक्षण हेतु विधिक बिन्दु चिहिन्त कर आवश्यकतानुसार विधि समिति की राय प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के आदेशानुसार मामलें को विधि समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5- पुनरीक्षण योग्य पाये गये मामलों में विधि समिति की राय के अनुसार विधिक बिन्दु के साथ पुनरीक्षण का आधार तैयार किया जायेगा।

6- पुनरीक्षण प्रस्ताव राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में निर्धारित अभिलेखों (कर निर्धारण पत्रावली को छोड कर) के साथ कालवाधन तिथि के 45 दिन पूर्व यथास्थिति ज्वाइन्ट कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) इलाहाबाद/मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण/07-08/1617 दिनांक 26-12-2007 द्वारा उपर्युक्त परिपत्र को अनुस्मृत कराते हुए पुन: निर्देश दिया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने हेतु प्रस्ताव मुख्यालय के उपर्युक्त परिपत्र के अनुरुप प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय और यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि पुनरीक्षण प्रस्ताव बिना विधिक बिन्दु व सबल आधार के प्रेषित किये गये हैं तो दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, परन्तु मुख्यालय पर प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध एस0एल0पी0 निक्षेप के प्रस्तावों से यह पाया जा रहा है कि प्राय: अधिकांश मामलों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण को केवल इसी आधार पर डिसमिश कर दिया गया है कि मामलों में कोई विधिक बिन्दु नही है तथा पुनरीक्षण केवल टर्नओवर के अनुमान के आधार पर अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है। इस प्रकार मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का कडाई से पालन न किये जाने के कारण अब भी प्रत्येक माह बडी संख्या

में पुनरीक्षण दायर हो रहे हैं और माह अप्रैल-2009 के अन्त तक विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण की संख्या 13028 हो गयी है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिनिधि मैनुअल (द्वितीय संशोधित संस्करण-2004) में पुनरीक्षण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है और मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार उल्लिखित है :-

1- मा0 उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण केवल विधिक बिन्दु पर दाखिल किये जा सकते है। यदि अधिकरण के निर्णय द्वारा केवल निर्धारित बिक्रयधन में कमी की गयी है अथवा केवल लेखा वहियॉ ही स्वीकार किये जाने का बिन्दु है तो जब तक सबल आधार न हो तब तक पुनरीक्षण की संस्तुति न की जाय। मैनुअल परिपत्र संख्या-न्याय प्रशा0अधि0/99-2000/577 दिनांक 21-5-99 द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो **प्रस्ताव पुनरीक्षण दायर करने हेतु प्रेषित किया जाय उस पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) अपने हाथ से स्पष्ट व पठनीय विधिक बिन्दु अंकित करेगें एवं पुनरीक्षण दायर करने की स्पष्ट संस्तुति करेगे**।

2- यदि व्यापार कर अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में कोई ऐसा तथ्यात्मक विनिश्चय दिया गया है जो अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों से समर्थित न हो तो पुनरीक्षण में निश्चित रुप से तथ्यात्मक विनिश्चय को भी चुनौती दी जानी चाहिए और पहला बिन्दु इसी को बनाया जाना चाहिए।

3- यदि व्यापार कर अधिकरण द्वारा विभागीय द्वितीय अपील में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर निर्णय नही दिया गया है और उन कारणों से विभाग का अहित हो रहा हो तो पुनरीक्षण प्रस्ताव में इस बिन्दु पर भी प्रश्न बनाया जाना चाहिए।

अत: निर्देश दिया जाता है कि मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्रों एवं राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही मा0 उच्च न्यायालय में केवल विधिक बिन्दु होने तथा सबल आधार होने पर ही पुनरीक्षण दायर किया जाय।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य) लखनऊ द्वारा प्रत्येक तिमाही जोनवार ऐसे मामलों का विवरण अपनी संस्तुति सहित मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बिना समुचित आधार के पुनरीक्षण दायर करने की संस्तुति की गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17/6/09

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)/ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ को अनुपालनार्थ।
4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6- समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित पटल सहायक को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

(जी0एन0 गुप्ता)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।